प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

[22/7/2016]

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी नजूल शहर वृत्त भोपाल

परिशिष्ट क्रमांक

क्र0/ 272 /न.अ.श./16

प्रश्न सं. [क्र. 1917]

भोपाल, दिनॉक 12/07/16

परिशिष्ट अ

प्रति,

कलेक्टर महोदय
जिला भोपाल

विषयः आर.आई. श्री राकेश सिंह के द्वारा रिश्वत मांगने बावत्।

संदर्भः जनसुनवाई शिकायत संख्या 26276 दिनांक 07.04.2015

---000---

उपरोक्त विषयातर्गत एव संदर्भित शिकायत के संबंध में अनुरोध है कि शिकायतकर्ता श्री अभिषेक जैन के द्वारा कलेक्टर भोपाल की जनसुनवाई में दिनांक 07.04.15 को तत्कालीन राजस्व निरीक्षक श्री राकेश सिंह द्वारा एन.ओ.सी. के प्रकरण में 50,000/- की रिश्वत मांगे जाने के संबंध में सी.डी. सहित शिकायत की गई थी। उपरोक्त शिकायत की जांच तहसीलदार शहर वृत्त से कराई गई।

शिकायत पर तहसीलदार शहर वृत्त से जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। तहसीलदार शहर वृत्त द्वारा अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया की प्रकरण में उभय पक्षो के कथन अंकित किये गये। जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा तत्का. राजस्व निरीक्षक द्वारा 50,000/- मांगा जाना व्यक्त किया बाद मे 40,000/- तक की राशि में काम करने कि सहमति दी। तत्का. राजस्व निरीक्षक राकेश सिंह द्वारा अपने जवाब में बताया है कि उसके द्वारा 26.08.2014 को प्रकरण में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था, यदि रिश्वत की मांग की होती तो तब मांग करता, आवेदक का काम नहीं होने से आवेदक शिकायत कर रहा है। तहसीलदार शहर द्वारा अपने प्रतिवेदन में दोनो के वार्तालाप के सुनने से प्रथम दृष्टया सी.डी. में पैसे के लेनदेन के संबंध में बातचीत प्रतीत होना उल्लेखित किया है एवं प्रस्तुत सी.डी. की फोरेंसिक जांच कराया जाना आवश्यक बताया है। प्रतिवेदन में तहसीलदार द्वारा शिकायत को प्रथम दृष्टया सत्य माना है एवं तत्कालीन राजस्व निरीक्षक के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित किया जाना प्रतिवेदित किया है एवं संबंधित राजस्व निरीक्षक वर्तमान में नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नत होकर जिला बैतूल में पदस्थ होने से विभागीय जांच हेतु प्रस्ताव कलेक्टर महोदय, भू-अभिलेख शाखा की ओर से आयुक्त महोदय, भोपाल संभाग भोपाल की ओर प्रेषित करने का अनुरोध किया है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया एवं सी.डी को मेरे द्वारा सुना गया। उभय पक्षो के कथनो एवं सी.डी. के सुनने के पश्चात तहसीलदार शहर वृत्त नजूल भोपाल के प्रतिवेदन से सहमत हूँ। तदनुसार सीडी में पैसे के लेनदेन के संबंध में बातचीत होना प्रतीत होती है। सीडी की फोरेंसिक जांच कराया जाना आवश्यक है। प्रथम दृष्टया पैसे के लेन-देन की बातचीत सत्य प्रतीत होने से तत्कालीन राजस्व निरीक्षक शहर वृत्त नजूल भोपाल वर्तमान नायब तहसीलदार जिला बैतूल श्री राकेश सिंह के विरुद्ध विभागीय जांच का प्रस्ताव कलेक्टर महोदय, भू-अभिलेख शाखा जिला भोपाल की ओर से आयुक्त महोदय भोपाल संभाग भोपाल की ओर प्रेषित किया जाना उचित होगा।

जांच प्रतिवेदन अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

अनुविभागीय अधिकारी
नजूल शहर वृत, भोपाल

14/7/16

C:\Users\User\Desktop\VIDHAN SHBHA2015\CITY vidhanshabha 2016- doc